


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, झाँसी।

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-6221/Admin'G-I'/2019, Allahabad dated: 14-05-2019 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-102/सात-न्याय-2-2015-728/86 दिनांकित-18 जून 2015 के अधीन परिवार न्यायालय झाँसी में परामर्शदाता की आबद्धता के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

- (1) अर्ह व्यक्तियों से आवेदन पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।
- (2) यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बन्धित हो, जहाँ पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है।
- (3) शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउन्सिलिंग में जिन्हें 02 वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
- (4) विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- (5) आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथा सम्भव एक पद के सापेक्ष 05 लोगों की सूची तैयार की जायेगी।
- (6) राज्य सरकार के अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय, परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
- (7) परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।
- (8) परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में 03 वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।
- (9) परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत परामर्शदाता के आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र स्वप्रमाणित फोटो सहित दिनांक-06-06-2019 तक प्रशासनिक कार्यालय, जिला न्यायालय झाँसी में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।


22/5/19
जनपद न्यायाधीश,
झाँसी।

प्रतिलिपि-

1. जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी झाँसी को जनहित में प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

नोट: इस विज्ञप्ति की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वेबसाइट पर भी डाली जाये।